(RTM) धनवाड़ा

राजस्थान सरकार

मालका खेड़ा

(कार्य - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 उपखण्ड फार्म नंबर के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/369

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251 (1)(अ) RTA प्रार्थना पत्र		2024/369		
	235/24 235/24	26/6/24	T.D.R. से पुनः जाँच रिपोर्ट हेतु लिखा गया 2/1/12/24	16/8/24 26/9/24 05/11/24 19/11/24 17/12/24 पुनः T.D.R. से जाँच रिपोर्ट प्राप्त 14/1/25 21/12/24

निर्णीत 21/12/24

बनाम

श्री रुकमा देवी w/o रूपा गुर्जर .... श्री तहसीलदार साहब ....

निवासी उखलीखेड़ा, तह. माण्डलगढ़ .... निवासी माण्डलगढ़ ....

वगैरह (02)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

देनदार

श्री उदयलाल गुर्जर .... श्री ....

महेश चन्द्र सुखवाल

8

APP-A
Crim-1

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] 10/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/22	प्रार्थनापत्र सीगे से बाद जॉच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थनापत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 26/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	
13/5 26/5/22 [illegible]/1/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्यकार्य में व्यस्त पधारे है। पत्रावली वास्ते त/ब आयन्दा दिनांक 15/7/22 को पेश हो।	
15/7/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पधारे है। पत्रावली वास्ते त/ब आयन्दा दिनांक 2/11/22 का पेश हो।	
2.11.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पधारे है। पत्रावली वास्ते त/ब आयन्दा दिनांक 29.11.2022 का पेश हो।	
29/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली में विपक्षी की तामील प्राप्त। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 04/01/23 को पेश हों।	
04/01/2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 24/01/23 को पेश हों।	

24/01/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 28/2/23 को पेश हो।

28/2/23 पत्रावली प्रस्तुत [illegible] उपस्थित
पीठासीन [illegible] बार स्थगन [illegible] है।
पत्रावली मौ.रि. [illegible] 24/5/23
को पेश हो।

24.5.23 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प मांडलगढ़ में पेश हुई। प्रस्तुतकार वादी / [illegible] हाजिर। प्रशासन गाँवों के संग [illegible] में पक्षकारानों के बीच आपसी [illegible] नहीं होने से पत्रावली आगामी 20.9.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी / रीडर
माण्डलगढ

20.9.23 पत्रावली पेश हुई / वकील प्रार्थी उप०।
की तहसीलदार
दिनांक 15.02.2023 से मौका रिपोर्ट प्राप्त / पत्रावली
मांडलगढ़ मौका रिपोर्ट दिनांक 08.1.24
वास्ते बहस
को पेश हो।

08/01/24 पत्रावली प्रस्तुत हुइ, आज वादी प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 22/04/24
को पेश हो।

12/03/24 [illegible] सरकार के अधिसूचना
[illegible] आदेश दिनांक 03
अगस्त [illegible] क्रमांक 9 (18)
राज.1/20[illegible] द्वारा उपतहसील
काछोला [illegible] तहसील काछोला
में [illegible]
के क्षेत्राधिकार [illegible] जिला शाहपुरा
न्यायालय की [illegible] संबंधित राजस्व
मुत्तकील की जाती है। मालकाखेड़ा [illegible] शाहपुरा को

Bis.

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

...लत ______________ मुकाम ______________

______________ बनाम ______________

...ुकदमा ______________ नं.______________ वर्ष

...ख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...8/24	पत्रावली राज्य सरकार के आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से प्राप्त हुई। वास्ते बहस आगामी दिनांक 16/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
...|8|24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26|9|24 को वास्ते बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
26/9/24	पत्रावली पेश हुई वादी/प्रतिवादी को सूचनार्थ नोटिस जारी किए गए। पत्रावली आगामी दिनांक 5/11/24 को पेश हो।	
5.11.24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थीया रुकमा गुर्जर उपस्थित। पत्रावली में मौका-रिपोर्ट तहसीलदार माण्डलगढ़ की दिनांक 25/01/23 की संलग्न है। प्रार्थीया ने उक्त रिपोर्ट के संबंध में जाहिर किया की मैंने रास्ता जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत मात्र खातेदारी आराजी नं. 1436/402 के पूर्वी तरफ ही मांगा है। शेष रास्ता जो कि मौके पर खुला होकर सार्वजनिक होकर कई वर्षों से श्यामपुरा से बिजोलिया आने जाने हेतु प्रयोग में आ रहा है। अतः आराजी नं. 1436/402 के पूर्वी तरफ ही रास्ता दर्ज करने हेतु कार्यवाही कि जावे। अतः प्रकरण को तहसीलदार	

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बिजौलिया से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा जावें, पत्रावली आगामी दिनांक 19/11/24 से पूर्व प्रस्तुत करने की सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 19/11/24 को पेश हो।
19/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते ई० मौका रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 17/12/24 को पेश हो।
17/12/24	पत्रावली पेश [illegible] पक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 14/1/25 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17/12/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 14/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा
21/12/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान बिजौलिया में पेश हुई। पत्रावली में विस्तृत से लिखकर कैम्प में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2024 ★ उप खण्ड [illegible]

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रार्थनापत्र संख्या :– 10/2022(माण्डलगढ़) दायर तारीख 25/01/2022 (माण्डलगढ़)

प्रार्थनापत्र संख्याः– 235/24 (बिजौलियां) दायर तारीख 26/06/2024 (बिजौलियां)

अनवान

01. रूकमा पत्नि रूपा गुर्जर उम्र 50 साल पेशा खेती निवासी उखलीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
02. रूपा पिता उगमा गुर्जर उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी उखलीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

..........प्रार्थीगण

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां/माण्डलगढ़ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री उदयलाल गुर्जर एवं महेशचन्द्र सुखवाल ....अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार ....अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

दिनांक :– 21/12/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्राथीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम धनगाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 608 में अंकित खसरा नम्बर 1438/402 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर किरम बारानी तृतीय भूमि में स्थित है। जिस पर आने–जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता ग्राम उखली खेड़ा से निकलकर मेज खटाणी नदी आराजी नम्बर 401 के पश्चिमी किनारे से होकर आराजी नम्बर 402 के बीचों–बीच श्यामपुरा से बिजौलियां आने–जाने के लिए आम रास्ता है। उस पर होकर हीरा के खाते व कब्जे की आराजी नम्बर 1436/402 की पूर्वी दिशा में होकर आराजी नम्बर 402 में स्थित रास्ते से होकर आराजी नम्बर 1438/402 पर पहुचते हैं जिस पर किशना पिता खाना गुर्जर ने आराजी 402 पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है किशना ने आराजी नम्बर 1436/402 के पूर्वी और आराजी नम्बर 402 से स्थित रास्ते को दिनांक 25.06.2021 को जे.सी.बी. से खाई खोद कर अवरूद्ध कर दिया है।

प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 1436/402 के पूर्वी ओर स्थित आराजी नम्बर 402 में स्थित 12 फीट चौड़ा रास्ता आराजी नम्बर 1438/402 पर कृषि कार्य के आवागमन के लिए दर्ज किया जाना विधि एवम न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 1436/402 के पूर्वी ओर स्थित आराजी नम्बर 402 में स्थित 12 फीट चौड़ा रास्ता आराजी नम्बर 1438/402 पर कृषि कार्य के आवागमन के लिए दर्ज किया जाना विधि एवम न्याय संगत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थन है कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की ग्राम धनवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1438/402 पर ग्राम उखली खेड़ा से आने-जाने का 12 फीट चौड़ा रास्ता जो मेज खटायणी नदी आराजी नम्बर 401 के पश्चिम किनारे से होकर आराजी नम्बर 402 के बीचों-बीच स्थित सार्वजनिक रास्ते से होकर आराजी नम्बर 1436/402 की पूर्वी और आराजी नम्बर 402 में स्थित रास्ते का मुआवजा जमा कराकर आराजी नम्बर 1436/402 की पूर्वी ओर 402 में स्थित रास्ते को प्रार्थीगण के नाम दर्ज जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थनापत्र दिनांक 25/01/2022 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । तहसीलदार माण्डलगढ़ की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता उदयलाल गुर्जर एवं महेशचन्द्र सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ की और से पेरोकार सरकार उपस्थितं। तहसीलदार माण्डलगढ़ की जांच रिपोर्ट दिनांक 25 जनवरी 2023 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर महोदय के आदेश से पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी **माण्डलगढ़** से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को प्राप्त हुई जिसे दिनांक 26.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण एवं तहसीलदार बिजौलियां को तामील भेजी गई, जो बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थीया रूकमा स्वयं उपस्थित हुई और तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट पर आपत्ति/एतराज जताया कि मेरे द्वारा आराजी नम्बर 1436/402 के पूर्वी तरफ से मेरी खातेदारी आराजी 1438/402 तक जाने के लिए ही राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता, दर्ज करने के लिए अनुतोश चाहा गया, जो कि प्रार्थना-पत्र के बिन्दु संख्या 09 में स्पष्ट अंकित है। प्रार्थी की बहस के आधार पर तहसीलदार बिजौलियां को पुनः स्पष्ट जांच/मौका रिपोर्ट के लिए तहरीर क्रमांक/रीडर/2024/1997 दिनांक 06.11.2024 को जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां से जांच/स्थल रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि:-

भू.अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का माल का खेड़ा द्वारा मौका पर्चा अनुसार प्रार्थीगणों की अपनी खातेदारी भूमि ग्राम धनवाड़ा की आराजी नम्बर 1438/402 पर पहुंचने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 402 रकबा 5.0909 हैक्टेयर भूमि में से 0.0272 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहेगी। प्रस्तावित भूमि एन.एच., ऐस.एच. अन्य

लगातार पेज संख्या 03 पर

प्रशासन गांवों संग अभियान-202 ★ उपखण्ड बिजौलियाँ ★

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सभी प्रकार की सड़क मार्गो से 01 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। स्वीकृत एवं संभावित खनन क्षेत्र से 01 से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम धनवाडा की रास्ते की हेतु प्रस्तावित बिलानाम आराजी नम्बर 402 रकबा 5.0909 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 0.0272 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 575000/–रू प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 15640/– रूपये का दुगुना से 31280/–रूपये की राशि बनती है। रिपोर्ट के साथ नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां संलग्न की गई है। तहसीलदार बिजौलिया की रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन/मनन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा भू.अभिलेख निरिक्षक बिजौलिया कलां तहसील बिजोलियां कलां जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 608 में अंकित खसरा नम्बर 1438/402 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में आने–जाने के लिए ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा भू.अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां कलां के खाता संख्या 01 में अंकिता खसरा नम्बर 402 क्षेत्रफल 5.0909 हैक्टेयर किस्म बंजड़ बिलानाम भूमि में से 0.0272 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में **गैर मुमकीन रास्ता** अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 575000/–रूपये प्रति हैक्टेयर में से 0.0272 हैक्टेयर भूमि की मालियत 15640/– रूपये की दुगुनी राशि 31280/–रूपये बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। साथ ही तहसीलदार बिजौलियां को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को अतिक्रमण भुक्त कर पालना रिपोर्ट पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 31/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

राजस्व गांवों का संग अभियान-202 … उप खण्ड बिजौलियां